राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 20 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी भाखरपुरा		बाबू वल्द दौलाराम कौम कलबी निवासी मघा की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 06.12.2022

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का भाखरपुरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा मघा की ढाणी राजकीय भूमि ख.न. 759 / 491 रकबा 143.15 बीघा किस्म गै.मु. गोचर में से 2.09 बीघा व खसरा नं. 760 / 491 रकबा 2.00 बीघा में से 2.00 बीघा(सम्पूर्ण) कुल 4.09 बीघा पर(बाड़ बनाकर) अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

पूनः नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु गैर सायल को दुबारा अवसर दिया गया। सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 06.12.2022 को प्रार्थी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थति। गैर सायल को सुनवाई का दो बार मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन–तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित होने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है जिस पर अप्रार्थी का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 6.09 रूपये का राउण्ड अप 7 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 350 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। तथा बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

कार्यालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Saran
Date: 2023.01.20 15:11:59 IST
Reason: SelfAttested

चौधरी)

नायब तहसीलदार गुड़ामालानी